कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर । 16

(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक : भू॰अ॰/न॰वि॰/91/ दिनांक:13.6.91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर की भूमि अवाप्ति बाबत (पृथ्वीराज नगर योजना)

मुकदमा नम्बर :

1. 292/88

2. 464/88

:- अ वा र्ड :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का केन्द्रीय भूमि अधिनियम संख्या-1) की धारा 4(1) के तहत क्रमांक प-6(15) नविआ/87 दिनांक 6.1.88 का गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 7 जुलाई, 1988 को प्रकाशित करवाया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प-6(15) नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 31 जुलाई, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार बताई गई है ।

क्रमशः -------2 पेज पर-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

क्र·सं·	मुकदमा नम्बर	खसरा नम्बर	अवाप्ति अधीन भूमि का रकबा बी· बि·	नाम खातेदार/हितदार
1	2·	3·	4·	5·
1·	292/88	87	4-01	नारायण,गणेश,पिता रोडू कौम हरि ब्राह्मण सा· देह
		186	3-13	उपरोक्त
		187	0- 19	
		188	01-04	" "
		189	00-06	" "
		190	02-19	"
		340	28-04	"
2·	464/88	193	00-03	कल्याण,भैरू, चुन्नीलाल, रामलाल पिता गोविन्दा,सुरेन्द्र पुत्र जीवण हि·2/9 बालू,हरिनारायण पि·हीरा हि·2/9 नानगा,रामराय पिता लक्ष्मीनारायण 1/6 गणेश पुत्र मोती हि· 1/6 कौम हरि· ब्राह्मण सा·देह
		334	03-05	उपरोक्त

मुकदमा नम्बर 292/88 खसरा नम्बर87 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा,ख0नं0186 रकबा 3बीघा 13 बिस्वा,खसरा नम्बर 187 रकबा 19 बिस्वा,ख0नं0188 रकबा 1बीघा4बिस्वा ख0नं0189 रकबा 6 बिस्वा,ख0नं0 190 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा,ख0नं0340 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा:-

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 87,186,187,188,189,190,व340 नारायण, गणेश, पिता रोडू कौम हरि0ब्राह्मण सा·देह के नाम पर/खातेदारी में दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को दिनांक 31·10·90 को नोटिस जारी किये गयेतामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिसों की तामिल गोपाल लाल पुत्र नारायण को शामील कराये गये । इसके उपरान्त खातेदारान/हितधारान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । पुनः नोटिस दिनांक 31·1·91 को धारा 9 एवं 10 के नोटिस तामिल कुनिन्दा द्वारा जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिसों ने से इन्कार करके

....3.

करने पर दो गवाहों के सामने चस्पा किया गया । लेकिन खातेदार/दावेदार उपस्थित नही हुऐ । दिनांक 9·4·91 को धारा 9 एवं 10 के नोटिस रजिस्टर्ड ए·डी·एवं तामिल कुनिन्दा द्वारा जारी किये गये । जो दिनांक 26·4·91 को खातेदारान के अभिभावक श्री अनिल मेहता को नोटिस तामिल कराये गये । रजिस्टर्ड ए·डी·नोटिस में डाकबर की रिपोर्ट अंकित है कि प्राप्तकर्ता ने लेने से मना किया अत: रजिस्टर्ड ए. डी·नोटिस अदम तामिल के प्राप्त हुऐ। दिनांक 24·4·91 को धारा 9 एवं 10 के नोटिस नवभारत टाईम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये गये । दिनांक 26·4·91 को खातेदारान/हितधारान श्री नारायण व गणेश की तरफ श्री अनिल महेता अभिभावक उपस्थित हुऐ । लेकिन क्लैम पेश नहीं किया । उक्त दिनांक को ही एक प्रार्थना पत्र पेश किया । दिनांक 10·5·91 को खातेदारान की ओर से अनिलम मेहता अभिभावक उपस्थित हुऐ । पूर्व में दिनांक 24·4·91 को प्राप्त प्रार्थना पत्र को प्राधिकरण के अभिभावक श्री के·पी·मिश्रा से बहस के पश्चात प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। दिनांक 1·6·91 को श्री अनिल मेहता अभिभावक ने श्री नारायण व गणेश की तरफ से क्लेम पेश किया।

प्राप्त क्लेम में खातेदारान ने कुछ आपत्तियां भी अंकित की है जो धारा 5-ए की सुनवाई के समय प्रस्तुत करनी चाहिऐ थी अत: आपत्तियां खारिज की गई।

श्री अनिलम मेहता ने खातेदारान की तरफ से जो क्लैम पेश किया है उसमें अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे की राशि 45 लाख रुपये की मांग की है । चार कुओं की कीमत 5 लाख रु0 व बिजली की मोटर मय स्टॉर्टर प्रति मोटर की कीमत 10,000/- कुल 40,000/- रु0 की मांग की है चारो कूओं में लगी बोरिंग की कीमत 90,000/-रु0 बोरिंग पाईप 35 फुट तक की कीमत 7000/-रु0 मोटर से पानी बाहर फेंकने के लिऐ । 2 इंच के पाईप की कीमत 176000/-रु0 फटबोलो की कीमत कूओं की 320/- कूओं में लगी लोहे की सीढ़ी की कीमत 10,000/- मोटर रखने की चेनल 8400/-रु0 बिजली की गुमटी चारो कूओं पर 25,200/-रु0 गुमटी में तार की कीमत 12,000/-रु0 बिजली बोर्ड से लिया गया कनेक्शन का खर्चा 1,20,000/- कूओं में क्लिप ब्रिकेट की कीमत 2000/-रु0 पानी की होदी की कीमत 49,600/- मिट्टी की डोली में लगे कुचे 60000/- पेड़-पोधो की कीमत 3,13,14,000/-रु0 की मांग की है। मकानो की कीमत 8;7,470/-रु0 की मांग की है । कृषि भूमि एवं डेयरी से होने वाली आय प्रार्थी को तीन वर्ष की विशेष हर्जाना के 1,50,000/-रु0 प्रति माह की मांग की है । प्रत्येक सदस्य के लिऐ 1500/- व·ग की भूमि की मांग की है । कुल मुआवजा 21,88,56,190/-रु0 की मांग की है ।

उक्त मामले में जो क्लेम की राशि की मांग की है उसके लिऐ ना तो कोई दस्तावेजात पेश किऐ है और ना ही कोई रजिस्टर्ड वेल्यूअर से प्रमाणित तकनिकी

......4

— 238 —

ताबीने प्रस्तुत किये है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के॰पी॰मिश्रा ने प्रस्तुत क्लेम का विरोध करते हुए दलील दी है कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के इस प्रकार के क्लेम में मांगी गई राशि का कोई औचित्य नहीं बनता है। खातेदारान ने जो प्लाटों की मांग की है उसके ~~बदले~~ जो दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि इससे पृथ्वीराज नगर योजना पर ~~खराब~~ विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हम प्राधिकरण अभिभाषक के कथन से सहमत है। इन्होने क्लेम में जो अधिक राशि की मांग की है वह अस्वीकार है।

खसरा नम्बर 186,187,188,189,190 एवं 340 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 10·6·91 का प्रभावी होने के कारण उक्त खसरा नम्बरान का अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।

मुकदमा नम्बर- 464/88 खसरा नं॰ 193, 334,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 193 रकबा 03बिस्वा एवं ख॰नं॰ 334 रकबा 03बीघा 05बिस्वा श्री कल्याण, भेरू, चुन्नीलाल, रामलाल, पिता गोविंदा, सुरेन्द्र पुत्र जीवणराम हि॰2/9 बालू, हरिनारायण पि॰हीरा हि॰2/9, मनगा, रामराय पिता लक्ष्मी नारायण 1/6, गणेश पुत्र मोती हि॰1/6 कोम हरि॰ कुम्हार सा॰देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदारान/हितधारान को दिनांक 13·11·90 को जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने नोटिस लेने से मना किया अतः नोटिस चस्पा किया गया। लेकिन खातेदारान/दावेदार की तरफ से कोई उपस्थित नहीं। पुनः नोटिस दिनांक 26·4·91 को नवभारत टाईम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये गये। दिनांक: 26·4·91 को रजिस्टर्ड ए॰डी॰ एवं तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल हेतु धारा 9 एवं 10 के नोटिस जारी किये गये। डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस प्राप्तकर्ता ने लेने से मना किया अतः अदम तामिल नोटिस प्राप्त हुऐ। तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदार के न मिलने पर उनके वयस्क सदस्य को नोटिस तामील कराया गया। लेकिन खातेदारान/दावेदारान की तरफ से कोई उपस्थित नही हुऐ। और ना ही खातेदारान/दावेदारान ने कोई क्लेम पेश किया अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

खसरा नम्बर 334 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11·6·91 को अवार्ड न करने पर स्थगन आदेश जारी किया गया है अतः ख॰नं॰ 334 का अवार्ड नहीं किया जा रहा है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास जयपुर

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात में सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 29-4-91 को जारी किया गया जो तामील कुनिन्दा द्वारा निर्मित्या तहसील, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये गये व चस्पा कराया गया ।

मुआवजा निर्धारण :-
=================

जहां तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6(15) नविआ/87 दिनांक 1-1-89 द्वारा मुआवजा राशि निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था । लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों मे से किसी भी ग्राम के मुआवजे की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है । इस सम्बन्धं में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11-2-91द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकासप्राधिकरण आयुक्त एवं सचिव ज. वि. प्रा को भी निवेदन किया गयाथा कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी में मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी करा ली जाये । इसके उपरांत समय-समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेग्रोशियशन नहीं किया गया है ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे का निर्धारण का तरीका धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रीयों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीकृत दर के अनुसार निर्धारण माना गया है । पृथ्वीराज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन वर्ष88 को हुआ था(7.7.88) इसलिए विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई, 1988 को विभिन्न उप पंजीयको के यहां पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों के रजिस्ट्रेशन की दर क्या थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

जहां तक उपरोक्त खसरा नम्बर के खातेदारान/हितदारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त मामलों में से जिन खातेदारो ने क्लेम की राशि की मांग की है । के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के. पी. मिश्रा का कथन है कि मुआवजे की मांग की गई है । वह बहुत अधिक है । खातेदारान/हितदारान व दावेदारान ने भूमि की बाजार दर की पुष्टि में कोई ठोस दस्तावेजात पेश नहीं किये है ।

क्रमश: ——————6 पेज पर——————

जयपुर

- 240 -

पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा इस क्षेत्र के आस-पास की भुमियों की मुआवजा राशि 24,000रू. प्रति बीघा की दर से निर्धारित किया गया है । अतः उक्त मामलों में 24,000/-रू. प्रति बीघा की दर से मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित रहेगा

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्तों के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया । जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव, ने अपने पत्र क्रमांक टी.डी.आर/91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया कि धारा-4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास में 15,300/-रू. प्रति बीघा की दर से पंजीयन हुआ था इसलिए जहाँ तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उप-पंजीयक एवं तहसीलदार, सांगानेर के यहां भी अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार ज.वि.प्रा. प्रथम ने अपने यू.ओ.नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा उप-पंजीयक सांगानेर के यहां भी धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भुमि की मुआवजा राशि 24,000/-रू. प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये एवं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से प्राप्त हो चुका है । जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि मुआवजा राशि 24,000/-रू. प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जविप्रा को आपत्ति नहीं होगी । क्योंकि कुछ समय पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा इस भुमि के आस-पास के क्षेत्र में 24,000/-रू. प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये है ।

अतः इस मामले में भी इस भुमि की मुआवजा राशि 24,000/-रू. प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते है एवं हम यह भी मानते है कि धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

केन्द्रीय भुमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिये दो वर्ष की समयावधि नियत है । लेकिन खातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 के नोटिस तामिल कुनिन्दा रजिस्टर्ड. ए. डी. एवं समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते है । इसलिए इनके विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

जहां तक पेड़-पोधें, लड्डे, कुए एवं भूमि पर स्थित स्टेक्चर्स का प्रश्न है खातेदारान द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीने प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा ।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/-रू. प्रति बीघा की दर से करते है लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक सम्बन्धी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा । मुआवजे निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार निर्धारित किया गया है ॥

क्रमशः-------7 पेज पर------

केन्द्रीय भूमि अवा... ...म की धारा 23(1ए) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30% सोलेशियम एवं 12% अतिरिक्त राशि भी देय होगी । जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" की मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित है एवं अल्सर अधिनियम से प्रभावित है । लेकिन उन्होंने ये सूचना नहीं दी है कि अल्सर अधिनियम 1976 की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी अथवा नहीं । ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं ।

यह अवार्ड आज दिनांक 13-6-91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर ।

संलग्न:- परिशिष्ट "ए" गणना तालिका

यह अवार्ड आज दिनांक 31-7-91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 6(15) न.वि.आ/87/पार्ट दिनांक 31-7-91 के द्वारा अवार्ड अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ है। खसरा नं. 193 पर अवार्ड पारित न करने पर न्यायालय आदेश होने के कारण उपरोक्त खसरा नं. का अवार्ड घोषित नहीं किया जा रहा है। खसरा नं. 87 पर न्यायालय का न्यायालय आदेश नहीं होने के कारण अवार्ड आज सिद्ध इजलास घोषित किया गया। अवार्ड शामिल किया जावे।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर
31/7/91

16/11/93 उक्त दिनांक को राज्य सरकार (अनुमोदन) प्राप्त ...

P.T.O

- 8 -

लेकिन मन्दिर श्री जगदीश/ ख.नं. 193 पर

माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन

आदेश होने के कारण अवाप्ति कार्यवाही

नहीं निकाला जा सका। लेकिन अब

राजकीय अभिभाषक श्री रमाकान्त

रस्तोगी ~~एड~~ के पत्र दिनांक 19 अक्टूबर

1993 एवं रिकार्ड बाबत सिविल जे. डि. जं.

जयपुर के क्र. ... कार्यवाही

दिनांक 31/10/93 के तहत स्थगन

का निर्णय खारिज हो जाने से हो जाना है।

अतः ख.नं. 193 की अवाप्ति की कार्यवाही

किया जाना/ आवश्यक की प्रति सचिव

... को भेजी जावे ... को

धारा 12(2) के नोटिस जारी हो।

(हस्ताक्षर)

भूमि अवाप्ति अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण-भवन
जयपुर

:. परिशिष्ट " ए" गणना तालिका ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर :.

क्र.सं.	मुकदमा नं0	नाम खातेदार/हितदार	खसरा नं0	रकबा बी. बि.	मुआवजा दर	मुआवजा राशि	सोलेशियम 30%	अतिरिक्त 12%	कुल योग
1.	2	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	292/88	नारायण, गणेश, पिता रोडू कौम हरि. ब्राह्मण सा. देह	87	4 - 01	24,000/-	97,200/-	29,160/-	34,244/-	1,60,604/-
2.	464/88	कल्याण, भैंरू, चुन्नीलाल, रामलाल पिता गोविन्दा, सुरेन्द्र पुत्र जीवण हि. 2/9 बालू, हरिनारायण पि. हीरा हि. 2/9 नानगा, राम-राय पि. लक्ष्मीनारायण 1/6 गणेश पुत्र मोती हि. 1/6 कौम हरि. ब्राह्मण सा. देह	193	0 - 03	24,000/-	3,600/-	1,080/-	1,268/-	5,948/-

नोट:. (1) सोलेशियम 30 प्रतिशत कालम नम्बर 8 पर मुआवजा राशि पर दी गई है ।

(2) अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत की गणना धारा-4 (1) का गजट दिनांक 7.7.88 से 13.6.91 तक की गई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर ।